R-3954-PB/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म. प्र.।

रिविजन प्र. क्र. :-
प्रस्तुत दि. 11-11-2016

ग्राम हिरनखेड़ा प. ह. नं. 72
तह. सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद म. प्र.

(1) प्रेमनारायण आयु 80वर्ष पिता श्री मथुराप्रसाद गौर, धंधा काश्तकारी, निवासी ग्राम हिरनखेड़ा, तह0 सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद म. प्र.।

(2) गोविन्द आयु 46वर्ष पिता प्रेमनारायण गौर, जाति कुर्मी, धंधा काश्तकारी, निवासी ग्राम हिरनखेड़ा, तह0 सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद म. प्र. ---------------- पुनरिक्षण कर्त्तागण।

श्री के. के. चतुर्वेदी अभिभाषक, सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद द्वारा आज दिनांक 11/11/2016 को प्रस्तुत।
अधीक्षक
नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद

विरूद्ध

(1) पुष्पाबाई आयु 57वर्ष विधवा स्व. गौरीशंकर गौर,
(2) मुकेश कुमार आयु 38वर्ष पिता स्व. गौरीशंकर गौर,
(3) कपिलकुमार आयु26वर्ष पिता स्व. गौरीशंकर गौर,
सभी जाति कुर्मी, धंधा कृषि, निवासी ग्राम हिरनखेड़ा, तह0सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबादम. प्र.
----------------उत्तरवादीगण।

22-11-16

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

पुनरीक्षण कर्त्तागण निम्न निवेदन करते है कि :-

यह कि, न्यायालय तहसीलदार के रा. प्र. क्र. 73/70वर्ष14-15 ग्राम हिरनखेड़ा प. ह. नं. 72 में आदेश दिनांक 28-10-2016 से परिवेदित होकर यह याचिका कर्त्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

पुनरीक्षण के तथ्य

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि निम्न न्यायालय तहसीलदार सिवनी-मालवा के समक्ष धारा250 म. प्र. भू. रा. सं. के तहत इन पुनरीक्षण कर्त्ता के विरूद्ध सीमांकन दिनांक 21-5-2015 के तहत उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है। जिसमें सूचना उपरांत याचिकाकर्त्तागण उपस्थित हुये और आवेदक की भूमि ख. नं. 137/2, 140/2, 144/2, 275/2, योग रकबा 5.533हे. याने 13.66एकड़ का मालिक स्वामी होकर अपनी भूमि का सीमांकन करवाया और सीमांकन के पश्चात

कृष्णनारायण / पुष्पाबाई

R-3954-PBR/16 HOS

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.2017	आवेदकगण की ओर से श्री के०के० चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.10-2016 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, वहां व्यवहार न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।	
	(हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.